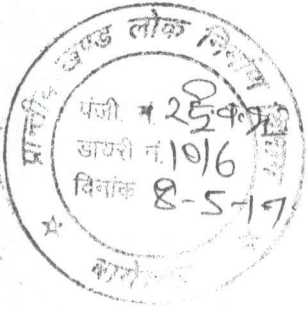


आदेश

उपजिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के आधार पर जनपद बागेश्वर में मानियाछीना-भटगाड मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.657 है० की दुगनी अवनत वन भूमि 3.315 है० जो ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी श्रेणी 9(3)ख जंगल के खतौनी खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 4140 रकवा 2.610 है०, मध्ये 0.610 है०, खेत नं० 4275 रकवा 2.750 है०, मध्ये 2.705 है०, कुल रकवा 3.315 है० श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/xviii(11) /2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा भारत सरकार पर्यावरण एवं वनजलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या 08 बी/यू०सी०पी०/०६/८६/२०१५/४६२ दिनांक ०८ जून, 2016 में दी गयी शर्तों के अधीन उक्त वर्णित 3.315 है० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।



जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर

संख्या - 191 / छब्बीस - वन / 2016-17 दिनांक 03 / 05 / 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1-प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

2- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० बागेश्वर।

3- उपजिलाधिकारी, कपकोट।

4-तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

वन अधिकारी
बागेश्वर
5/5


जिलाधिकारी,
बागेश्वर।